संख्या-4/247रिट/का-1-2013

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता,
मा0 उच्च न्यायालय,
लखनऊ बेंच, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 दिसम्बर,2013

विषय :-रिट पिटीशन संख्या-1559(एस0बी0)/2013 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम् सुरेश चन्द्र शर्मा के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम 3727(1)/सिविल/2013, दिनांक 29.10.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संदर्भ में मूल नियम-56 के अन्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों को स्क्रीनिंग किये जाने हेतु क्या मानक अपनाये जा रहे हैं, विशेषकर विगत वर्षों में कर्मचारियों/अधिकारियों की लोक सेवाओं में उपयोगिता के सम्बंध में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया हो, के सम्बंध में शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के निर्देश हैं।

2. इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों/अधिकारियों के स्क्रीनिंग का विषय कार्मिक विभाग से सम्बन्धित है तथा प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग ही प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग भी हैं। स्क्रीनिंग के सम्बंध में, कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग विषयक शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 1985, दिनांक 06 फरवरी, 1989, दिनांक 21 मई, 1998 एवं शासनादेश दिनांक 23.09.2000 निर्गत किये गये हैं (छाया प्रतियां संलग्न), जिसमें मुख्यतः मूल नियम-56 (छाया प्रति संलग्न) की व्यवस्था के आधार पर ही यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये 3 माह की नोटिस अथवा 3 माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। मूल नियम-56 का विषय वित्त विभाग से सम्बन्धित है, अतः इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। चूंकि कार्मिक विभाग एक परामर्शी विभाग है और प्रश्नगत रिट याचिका सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है, अतः

http://upsamadesh.up.nic.in

DF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

प्रश्नगत रिट याचिका में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा ही की जा सकती है और यथावश्यकता प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्मिक विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर परामर्श प्राप्त करते हुए उसका समावेश दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ-पत्र में कर लिया जाता है। कार्मिक विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों में स्क्रीनिंग कमेटी के गठन, समीक्षा, विचारणीय अभिलेख, कार्यवाही की समय-सारणी एवं स्क्रीनिगं कमेटी की विधिक स्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है। वस्तुतः स्क्रीनिंग के सम्बंध में नियुक्ति प्राधिकारी को निर्णय लिये जाने हेतु सशक्त एवं सक्षम बनाया गया है।

3. अतः आपके उक्त संदर्भित पत्र के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत रिट याचिका में उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित स्थिति से मा0 न्यायालय को अवगत कराना चाहें। यदि उपर्युक्तानुसार स्थिति स्पष्ट किये जाने के पश्चात् भी प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की आवश्यकता हो तो कृपया सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-247रिट(1)/का-1-2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, प्रमुख सचिव, सिंचाई को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत रिट याचिका में प्रतिवाद/अग्रतर कार्यवाही करना चाहें। यदि किसी बिन्दु/बिन्दुओं पर कार्मिक विभाग/वित्त विभाग के परामर्श की आवश्यकता हो तो उसे ससमय प्राप्त कर लेंगे।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://gramadesh.up.nic.in

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

संख्या 199/का०–1-2001

प्रेषक,

श्री भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।
2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 2000

विषय :—सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-2, भाग–2 से 4 तक में प्रकाशित "मूल नियम-56" में यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए तीन मास की नोटिस अथवा तीन मास का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 13/48/85–का०–1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत रूप से वर्णन किया जा चुका है (प्रतिलिपि संलग्न)।

2—अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु कतिपय अन्य दिशा-निर्देशों को शासनादेश संख्या 868/13/6/98/का०–1-2000, दिनांक 23 सितम्बर, 2000, शासनादेश संख्या 13/5/89/का०–1–89, दिनांक 6 फरवरी, 1989 एवं शासनादेश संख्या 5/7/77-कार्मिक–1, दिनांक 24 अगस्त, 1977 के द्वारा भी प्रसारित किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

3—अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रत्येक मामले में उपरोक्तानुसार नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 15 अप्रैल, 2001 तक स्क्रीनिंग की कार्यवाही कराने का कष्ट करें और मुझे तुरन्त सूचित करें।

भवदीय,
भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव।

संख्या 199/का०–1-2001–तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वे कृपया अपने अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को भी तत्काल अनुपालन हेतु उपर्युक्त व्यवस्था से अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
डी० के० वर्मा,
विशेष सचिव।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

संख्या 868/13/6/98-का०-1-2000

प्रेषक,

श्री प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।

लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2000

विषय :—सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 13/48/85-कार्मिक-1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(2) में ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं, के गठन का उल्लेख है। इस कमेटी में मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी को सदस्य के रूप में रखे जाने की व्यवस्था की गई है।

2—उक्त शासनादेश के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के लिए मुख्य सचिव महोदय को वरिष्ठ अधिकारी के नामांकन हेतु प्रत्येक विभाग से प्रत्येक वर्ष पत्रावलियां सम्प्रेषित की जाती हैं। शासन स्तर पर सेवा सम्बन्धी नीति-निर्धारण एवं अन्य कार्यों का सम्पादन कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है। इस कार्य के लिए कार्मिक विभाग में विशेष सचिवगण नियुक्त हैं। अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर विचार हेतु आयोजित बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित अधिकारी के रूप में कार्मिक विभाग के विद्यमान विशेष सचिवगण स्वतः ही नामित माने जाएंगे।

3—अतः स्पष्ट किया जाता है कि अब उक्त व्यवस्था के हो जाने से भविष्य में प्रश्नगत बैठक के लिए मुख्य सचिव महोदय की ओर से कार्मिक विभाग के अधिकारी के नामांकन हेतु पृथक से आवश्यकता न होगी।

भवदीय,
प्रदीप शुक्ला,
सचिव

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

संख्या 13/6/98-का०-1-98

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 21 मई, 1998

विषय :–सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में प्रकाशित "मूल नियम-56" में यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए तीन मास की नोटिस अथवा तीन मास का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 13/48/85-का०-1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत रूप से वर्णन किया जा चुका है (प्रतिलिपि संलग्न)।

2—अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु कतिपय अन्य दिशा-निर्देशों को शासनादेश संख्या 13/5/89-का०-1-89, दिनांक 6 फरवरी, 1989 एवं शासनादेश संख्या 5/7/77-कार्मिक-1, दिनांक 24 अगस्त, 1977 के द्वारा भी प्रसारित किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

3—अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रत्येक मामले में उपरोक्तानुसार नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 15 जून तक स्क्रीनिंग की कार्यवाही कराने का कष्ट करें और मुझे तुरन्त सूचित करें।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।

संख्या 13/6/98-का०-1-98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वे कृपया अपने अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को भी तत्काल अनुपालन हेतु उपर्युक्त व्यवस्था से अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
के० एम० लाल,
विशेष सचिव।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

अति गोपनीय

संख्या 13/48/85-कार्मिक-1

प्रेषक,

गिरीश मेहरा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी/मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

लखनऊ : दिनांक 26 अक्तूबर, 1985

विषय :—सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग 1

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में प्रकाशित "मूल नियम-56" में यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए 3 माह की नोटिस अथवा 3 माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/1/1975-कार्मिक, दिनांक 26 अगस्त, 1975 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के किए जाने के लिए सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग के निमित्त नियुक्ति प्राधिकारी की सहायता हेतु स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन करते हुए स्क्रीनिंग करने की अपेक्षा की गई है।

2—शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार प्रभारी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित प्रकीर्ण प्राविधानों को आवश्यक संशोधनों सहित संहत में सुविधा हेतु नीचे अंकित करते हुए मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नांकित प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3—प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, और यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं तो विभाग के सचिव, अपने अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के बारे में उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों की सूची तैयार करेंगे जिन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिये विचार योग्य समझा जाय। इस प्रयोजन हेतु वे अपने अधीन ऐसे अधिकारियों से संस्तुति प्राप्त कर सकते हैं जिसके नियंत्रणाधीन सरकारी सेवक कार्यरत हों और यदि कोई सरकारी सेवक प्रति नियुक्ति/वाह्य सेवा पर हो तो संस्तुति उस संस्था/सरकार से मांगी जा सकती है जहां वह सरकारी सेवक कार्यरत हो। तदुपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी अथवा यथास्थिति, विभागीय सचिव उक्त सूची सम्बन्धित सरकारी सेवकों के संगत अभिलेखों सहित एक स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखेंगे जिसका गठन निम्नवत् होगा:—

(1) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिसके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल से भिन्न है:—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित 2 वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य

(2) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है:—

(क) विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारियों के सम्बन्ध में—

(1) प्रशासकीय विभाग के सचिव	अध्यक्ष
(2) विभागाध्यक्ष	सदस्य
(3) मुख्य सचिव द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(ख) विभागाध्यक्ष एवं अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के सम्बन्ध में:–

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) प्रशासकीय विभाग के सचिव	सदस्य
(3) सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य

(ग) उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों (स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टरों सहित) के सम्बन्ध में:–

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) अध्यक्ष, राजस्व परिषद्	सदस्य
(3) सचिव, नियुक्ति विभाग	सदस्य

नोट :–(1) उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही नियुक्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

(2) यदि किसी विभाग में सचिव के स्थान पर विशेष सचिव प्रभारी अधिकारी है तो विशेष सचिव स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे।

4—उक्त स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा—आख्या प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी विचार करके स्व-विवेक से उपयुक्त निर्णय लेंगे और आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित करेंगे। यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है तो यथा अपेक्षा मुख्य मंत्री/सम्बन्धित मंत्री जी के आदेश प्राप्त करके आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवा नियुक्ति के आदेश पारित किये जायेंगे।

5—विचारणीय अभिलेख—अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने के लिये यद्यपि सम्बन्धित सरकारी सेवक के सम्पूर्ण सेवाकाल के समस्त अभिलेख देखे जाने चाहिए तथापि विशेष बल अन्तिम 10 वर्ष के अभिलेखों पर दिया जाना चाहिए और इस दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाना चाहिये कि सम्बन्धित सरकारी सेवक की दक्षता/सत्यनिष्ठा का स्तर क्या ऐसा है जिसके आधार पर उसे जन-हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिये।

6—कार्यवाही की समय-सारिणी—(1) स्क्रीनिंग की कार्यवाही सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व मूलतः नियुक्ति प्राधिकारी का होगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विषय में वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं उनके विषय में सूचना सामग्री जहां से भी आनी हो समय से प्राप्त हो जाय।

(2) स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रति हर वर्ष उस अधिकारी/कर्मचारी के विषय में होगी जिसने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(3) यथासम्भव प्रति वर्ष नवम्बर माह के अन्त तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अवश्य कर ली जाय।

(4) स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा—आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को 15 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दी जाय। नियुक्ति प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के सचिव अन्तिम रूप से निर्णय 15 जनवरी तक अवश्य ले लें।

7—स्क्रीनिंग कमेटी की विधिक स्थिति—स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्टेट्स नहीं होगा। वे केवल सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान में सहायता के लिये होगी व उनकी कार्यवाहियाँ भी अनौपचारिक होगी। मूल नियम 56 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में सन्निहित है अतः वे ऐसे कर्मचारी/अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय भी ले सकते हैं जिनके मामले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत न किये जा सकें।

8—मूल नियम 56 के अन्तर्गत आदेशों का प्रारूप—उक्त प्राविधान के तहत सेवानिवृत्ति के आदेश का प्रारूप शासनादेश संख्या 5/475–नियुक्ति–3, दिनांक 14 अगस्त, 1975 के साथ प्रसारित किये गये थे। सुविधा हेतु उक्त प्रारूप संलग्न है। यथासम्भव उक्त प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी किये जांय।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

9—कार्मिक विभाग को सूचनायें देना—अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णयों को सूचना प्रशासनिक, विभाग के सचिव के माध्यम से संकलित रूप में 31 मार्च तक कार्मिक अनुभाग–1 को निर्धारित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न) पर उपलब्ध कराई जाय।

10—अनुरोध है कि कृपया तत्काल उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा इस विषय में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

भवदीय,
गिरीश मेहरा,
मुख्य सचिव।

संख्या 13/48/85(1)-कार्मिक–1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वे कृपया अपने अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को भी तत्काल अनुपालन हेतु उपर्युक्त व्यवस्था से अवगत करा देंगे।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र गुप्त,
विशेष सचिव।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु की गई स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना

वर्ष 200 -20

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गये कार्मिकों की कुल संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे जायं	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के विचार से सहमत न होने के संक्षिप्त कारण	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे बिना नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो	अन्य विवरण यदि कोई हो,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष—							
2	पी० सी० एस० संवर्ग—							
	(क) श्रेणी "क" के अधिकारी—							
	(ख) श्रेणी "ख" के अधिकारी—							
3	पी० सी० एस० संवर्ग के भिन्न अधिकारी—							
	(क) श्रेणी "क" ...							
	(ख) श्रेणी "ख" ...							
4	श्रेणी "ग"							
5	श्रेणी "घ"							
	योग							

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिनके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल से कोई भिन्न अधिकारी हैं।

नोटिस का प्रालेख

समय-समय पर यथासंशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (*)————————जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूं, जिस पर आप आरूढ़ हैं एतद्द्वारा नोटिस देकर आप से लोकहित में अपेक्षा करता हूं कि आप (**)———— ——इस नोटिस के आप पर तामिल होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जायं।

नियुक्ति प्राधिकारी के

हस्ताक्षर तथा पद नाम

(*) यहाँ पर नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाय।

(**) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न हो, तो उसका इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 5 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)————————————(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है,) को दी गयी नोटिस दिनांक————————के क्रम में (**)————————जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूं जिस पर उक्त व्यक्ति आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूं कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तथा पद नाम

(*) कर्मचारी का नाम व पद नाम।

(**) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पद नाम।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (*)————————जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूं, जिस पर श्री (**)————————————आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूं कि श्री (**)———————— इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तथा पद नाम

(*) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम, यदि प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हों।

(**) कर्मचारी का नाम

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश के प्रालेख जिसके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं।

नोटिस का प्रालेख

समय-समय पर यथा संशोधित, फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 से खण्ड (सी) के अधीन राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि आप (*)————————————इस नोटिस के आप पर तामील होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त हो जाने पर सेवा से निवृत्त समझे जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

(*) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा है स्थानापन्न हो, तो इसी रूप में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए)।

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख-

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)————————————(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है) को दी गई नोटिस, दिनांक————————————के क्रम में राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया गया है कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख-

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश दिया है कि श्री (*)———————————— इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

(*) उस कर्मचारी का नाम व पदनाम जिस पर आदेश तामील होता है।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

अति गोपनीय

संख्या 13/5—89-का०-1-198

प्रेषक,

सिद्धार्थ बेहुरा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
2—समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3—शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

लखनऊ दिनांक 6 फरवरी, 1989

विषय :—सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक, में प्रकाशित मूल नियम 56-क के अधीन अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने हेतु सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग के विषय में उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 13-48-85-का०-1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शन निर्देश जारी किए गए हैं।

2—स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रत्येक 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के संबंध में अपेक्षित है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि उक्त प्राविधान के तहत कतिपय विभागों में 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारी/अधिकारी की स्क्रीनिंग सूची में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी भी रूटीन ढंग से प्रतिवर्ष सम्मिलित किये जाते हैं जिनके बारे में स्क्रीनिंग कमेटी पूर्व में विचार कर अपनी आख्या दे चुकी होती है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त इस संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना आवश्यक हो गया है।

3—इस हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिवर्ष ऐसे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की स्क्रीनिंग की जाए जिन्होंने उस वर्ष की 31 मार्च तक 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उदाहरणतः यदि 1989 अप्रैल से 1990 मार्च, तक स्क्रीनिंग करना है तो सम्बन्धित सभी कर्मचारी/अधिकारी के मामले पर विचार हो जो 31 मार्च, 1989 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उक्त शासनादेशानुसार 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख कर यदि उसे सेवा में बनाये रखने का एक बार निर्णय ले लिया गया हो तो सामान्यतया उस सरकारी सेवक को उसकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने तक सेवा में बनाये रखा जाये और उसके मामले को आगामी वर्षों में सम्पन्न होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु ऐसे मामलों में भी यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में आते हैं, तो वे किसी भी समय उक्त मूल नियम-56 के तहत उक्त सरकारी सेवक को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले सकते हैं या यथास्थिति उसका मामला अनुवर्ती स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख सकते हैं।

4—कृपया संबंधित मामलों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,
सिद्धार्थ बेहुरा,
सचिव।

संख्या 13/5—89 (1) कार्मिक-1-1989, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वे कृपया अपने अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को भी तत्काल अनुपालन हेतु उपर्युक्त व्यवस्था से अवगत करा देंगे।

आज्ञा से,
जे० डी० पुरी,
संयुक्त सचिव।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

अध्याय 9

अनिवार्य सेवा निवृत्ति

56 (क) इस नियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक, उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करें, अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा:

परन्तु कोई सरकारी सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास की अन्तिम दिवस के अपरान्ह में सेवा से निवृत्त होगा:

परन्तु यह और कि कोई सरकारी सेवक जिसने नवम्बर, 2001 के प्रथम दिवस पर या उसके पूर्व अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और सेवा विस्तार पर है तो वह उसकी सेवा अवधि के विस्तार की समाप्ति पर सेवा से निवृत्त होगा।

(क-1) किसी सरकारी सेवक को सेवा में साठ वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के आगे सेवा में विस्तार नहीं दिया जायेगा :

परन्तु किसी ऐसे सरकारी सेवक, जो बजट कार्य से सम्बद्ध है या किसी ऐसी समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, जिसका अल्प समय में परिसमापन किया जाना है, के सेवा का विस्तार लोकहित में सरकार द्वारा तीन मास से अनधिक की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसे सरकारी सेवक को, जो उच्चतर विशिष्ट तकनीकी कार्य करता हो, जिसका प्रतिस्थापन, इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों के बावजूद भी उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व किया जाना सम्भव न रहा हो, बासठ वर्ष की आयु तक सेवा का विस्तार दिया जा सकता है, यदि ऐसा विस्तार लोकहित में किया जाना अपरिहार्य हो और ऐसे विस्तार के लिये आधारों को लिखित रूप में अभिलिखित किया गया हो :

परन्तु यह भी कि सरकार को किसी स्थायी सरकारी सेवक की दशा में तीन मास से अन्यून या अस्थायी सरकारी सेवक की दशा में एक मास की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये गये सेवा विस्तार की अवधि के समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त करने का अधिकार होगा।"

टिप्पणी :-- सेवा विस्तार के लिये प्रत्येक मामला, मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री को आदेश के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) निकाल दिया गया।

(ग) खण्ड (क) या (ख) में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा-निवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है, या ऐसा सरकारी सेवक पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

कर लेने के पश्चात या बीस वर्ष की अर्ह सेवा पूरी कर लेने पर किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छया सेवा-निवृत्त हो सकता है।

(घ) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि--

(1) किसी ऐसे सरकारी सेवक को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से, ऐसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर तत्काल सेवा-निवृत्त किया जा सकता है, और ऐसी सेवा-निवृत्ति पर सरकारी सेवक, नोटिस की अवधि के लिये या, यथास्थिति, ऐसी नोटिस तीन मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन और भत्तें, यदि कोई हो, की धनराशि के बराबर धन का दावेदार होने का हकदार होगा जिस दर पर वह उनके अपनी सेवा-निवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह किसी सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर और नोटिस के बदले में उससे किसी शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा किए बिना, सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दे सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या आसन्न हो, दी गई नोटिस तभी, प्रभावी होगी जब वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाय, किन्तु किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दे दी जायगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि स्वेच्छया सेवा निवृत्त होने के लिए खण्ड (ग) के अधीन सरकारी सेवक द्वारा एक बार दी गई नोटिस उसके द्वारा, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, वापस नहीं ली जा सकेगी।

(ङ) प्रत्येक सरकारी सेवक के जो इस नियम के अधीन सेवा-निवृत्त होता है या जिससे सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवा निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, सुसंगत नियमों के अनुसार और उनके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा-निवृत्ति पेन्शन देय होगी और सेवा निवृत्ति संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई सरकारी सेवक जो इस नियम के अधीन स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी उसे पेन्शन और उपदान के, यदि कोई हो, प्रयोजनार्थ, पांच वर्ष की या ऐसी अवधि की, जिसमें वह कार्य किया होता, यदि वह अपनी अधिवर्षिता की आयु के साधारण दिनांक तक रहता, जो भी कम हो अतिरिक्त सेवा के लाभ की अनुज्ञा दे सकता है।"

स्पष्टीकरण--(1) नियुक्ति प्राधिकारी खण्ड (ग) के अधीन उसमें यथा विनिर्दिष्ट सेवा-निवृत्ति के लिए सरकारी सेवक से अपेक्षा करने का निर्णय उस प्राधिकारी के द्वारा

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

यह बात लोक हित में प्रतीत होने पर लेगा, किन्तु यहां पर दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि आदेश में इसका उल्लेख करने की अपेक्षा की गई है कि ऐसा निर्णय लोक हित में लिया गया है।

(2) यह समाधान करने के लिये कि क्या किसी सरकारी सेवक से खण्ड (ग) के अधीन सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा करना लोक-हित में होगा या नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी सेवक से सम्बद्ध किसी सुसंगत बात पर विचार कर सकता है और यहां पर दी गयी किसी बात का यह अर्थ नही लगाया जायगा कि--

(क) किसी अवधि से संबंधित किसी प्रविष्टि पर, जिसके पूर्व ऐसे सरकारी सेवक को दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा दी गई थी या जिसके पूर्व स्थानापन्न या मौलिक रूप में या तदर्थ आधार पर उसकी पदोन्नति की गई थी; या

(ख) किसी प्रविष्टि पर, जिसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन, विचाराधीन है, इस प्रतिबन्ध के साथ कि प्रविष्टि के साथ अभ्यावेदन पर भी विचार किया जाय;

(ग) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अधीन गठित सतर्कता अधिष्ठान की किसी रिपोर्ट पर विचार करना अपवर्जित है।

(2-क) प्रत्येक ऐसा निर्णय लोक हित में लिया गया समझा जायेगा।

(यह संशोधन दिनांक 18 नवम्बर, 1976 से लागू माने जायेगे)

(3) पद "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे ऐसे पद पर या सेवा में, जिससे सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा सरकारी सेवक से की गई हो या सरकारी सेवक सेवा-निवृत्त होना चाहता हो, मौलिक नियुक्ति करने की तत्समय शक्ति प्राप्त हो और पद "अर्ह सेवा" का वही अर्थ होगा जो सेवा-निवृत्ति पेंशन से संबंधित सुसंगत नियमों में दिया हो।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश, जिसमें सरकारी सेवक से इस नियम के खंड (घ) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन तत्काल सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की गई हो, जारी किये जाने के दिनांक के अपराह्न से प्रभावी होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसके जारी किये जाने के पश्चात् सम्बद्ध सरकारी सेवक सदस्यता से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके कार्यों को, इस तथ्य के होते हुए भी कि वह पहले सेवा-निवृत्त हो गया, विधि मान्य समझा जायगा।

टिप्पणी (1) . . .

टिप्पणी--(2) सरकारी सेवक का अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने के दिनांक के पश्चात् या उस दिनांक के पश्चात् जब तक के लिए सरकारी सेवक को सेवा में बने रहने की अनुमति दी गयी हो, किसी सरकारी कर्मचारी को नियम 86 के अधीन स्वीकृत की गयी किसी ऐसी छुट्टी से यह नहीं समझा जायगा कि उसके सेवा-काल को बढाने की अनुमति दी गयी है, और ऐसे सरकारी कर्मचारी को ऐसी छुट्टी के दौरान उसके स्थायी पद या किसी अन्य पद पर धारणाधिकार रखने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(यह नियम 1 अप्रैल, 1965 से लागू होगा)

टिप्पणी--(3)--कोई सरकारी सेवक, जिसका जन्म दिनांक किसी मास का प्रथम दिन हो, यथास्थिति, अट्ठावन या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न मे सेवा से निवृत्त हो जायगा।

नियम 56 से संबंधित लेखा-परीक्षा अनुदेश

1--जब किसी सरकारी कर्मचारी से किसी निर्दिष्ट आयु के प्राप्त करने पर सेवा से निवृत्त होने, प्रत्यावर्तित होने या अवकाश की समाप्ति की अपेक्षा की जाती है, तो वह दिन जिस दिन वह उस आयु को प्राप्त करता है कार्य दिवस नहीं गिना जायगा और सरकारी कर्मचारी को उसी दिन से जिसमें कि वह तिथि भी सम्मिलित है सेवा से निवृत्त या प्रत्यावर्तित हो जाना चाहिये या अवकाश की समाप्ति हो जानी चाहिये (जैसी भी स्थिति हो)।

1-क--मूल नियम 6 का खंड 'क' उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जिन पर मूल नियम पूर्णरूप से लागू होते हैं चाहे वे अस्थायी या स्थायी पद पर मौलिक रूप से या स्थानापन्न रूप से कोई कार्य कर रहे हों।

1-ख--मूल नियम 56 का प्रयोजन सरकारी कर्मचारियों को किसी विशेष आयु तक सेवा में रहने के अधिकार को प्रदान करना नहीं है बल्कि उस आयु को निर्धारित करना है जिसके आगे उन्हें सेवा में नही रहने दिया जा सकेगा।

1-ग--मूल नियम 56 सामान्यतया पुनर्नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होता है और असैनिक सेवा विनियमों के अध्याय 21 में दिये गये विनियम मूल नियम 56 में निर्धारित शर्तों के अधीन हैं, लेकिन असैनिक सेवा नियमों का अनुच्छेद 520, अपनी सुविधाओं और शर्तों के स्वरूप के कारण ही अधिवर्षता या सेवा निवृत्ति पेंशन पाने वाले व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति को मूल नियम 56 के बाहर एक विशेष वर्ग में स्वयं इस अनुच्छेद में दी गई शर्तों के अधीन रख देता है जिसका स्वीकृति के हर एक नवीकरण के समय पालन होना चाहिये।

नियम 56 से संबंधित राज्यपाल के आदेश

कुमायूं मण्डल के पटवारियों को छोड़कर राजस्व विभाग अन्य पटवारियों पर मूल नियम 56 लागू नही होगा। कुमायूं मण्डल के पटवारियों के लिये सेवा निवृत्ति की सामान्य आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है, परन्तु कुमायूं मण्डल के कमिश्नर जनहित में 60 वर्ष की आयु तक उनकी सेवा की अवधि को बढ़ा सकते हैं।

57--

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor